2016 का विधेयक संख्यांक 182

[दि वेलफेयर ऑफ क्राफ्ट्समेन एण्ड आर्टिसन्स बिल, 2016 का हिन्दी रूपांतर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

काश्तकार और कारीगर कल्याण विधेयक, 2016

देश में काश्तकारों और कारीगरों के संरक्षण और कल्याण
तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम काश्तकार और कारीगर कल्याण अधिनियम, 2016 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) ''बोर्ड'' से धारा 3 के अंतर्गत गठित कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) ''काश्तकार और कारीगर'' से बुनाई, कलमकारी, बंजारा कढ़ाई, काष्ठ कार्य, पीतल और घंटी की धातु, शॉल, काष्ठ नक्काशी, चटाई बुनना, बेंत और बांस टैक्सटाइल्स या चमड़े का कार्य अभिप्रेत है; और

(ग) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

कल्याण बोर्ड का गठन।

3. (*1*) **केन्द्रीय सरकार देश में काश्तकारों और कारीगरों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी।**

(*2*) **केन्द्रीय सरकार बोर्ड में एक चेयरपर्सन और देश के काश्तकारों और कारीगरों में से ऐसे अन्य सदस्यों को और ऐसी रीति से नियुक्त करेगी जैसा कि विहित किया जाए।**

(*3*) **बोर्ड के चेयरपर्सन और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ता एवं सेवा की अन्य निबंधन व शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए।**

बोर्ड के कृत्य।

4. बोर्ड—

(क) कला के विकास के लिए काश्तकारों और कारीगरों को सुरक्षा, मदद और सहायता प्रदान करेगा;

(ख) एक मंच के अंतर्गत कला के विभिन्न स्वरूपों में कार्यरत काश्तकारों और कारीगरों को संगठित करने का प्रयास करेगा;

(ग) ऐसे निबंधन व शर्तों पर ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जैसा कि विहित किया जाए; और

(घ) ऐसे अन्य उपबंध करेगा जिसे यह कारीगरों और काश्तकारों की बेहतर कार्यदशा एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिए आवश्यक समझे।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

5. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

6. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

देश के विभिन्न भागों में लगभग 48.22 लाख कारीगर और काश्तकार रह रहे हैं। वे विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं और सरकारें उनके कल्याण पर उचित ध्यान नहीं दे रही हैं। उनके पास नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। हस्तकरघा उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग छिहत्तर लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार काश्तकारों, बुनकरों और कारीगरों के कल्याण को बढ़ावा दे और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए उपबंध करते हुए उनके लिए कल्याणकारी उपाय करे।

नई दिल्ली;
13 अप्रैल, 2016
24 चैत्र, 1938 (शक)

उदित राज

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 में देश के सभी काश्तकारों और कारीगरों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए एक कल्याण बोर्ड के गठन का उपबंध है। इसमें बोर्ड के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति का भी उपबंध है। खण्ड 4 में उपबंध है कि बोर्ड जरूरतमंद कारीगरों और काश्तकारों को जैसा कि अपेक्षित हो, ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अत: इस विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि से व्यय होगा। इस पर प्रतिवर्ष पांच सौ करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय भी होने का अनुमान है।

इस पर लगभग एक सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 6 में केन्द्रीय सरकार को विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। चूंकि नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

देश में काश्तकारों और कारीगरों के संरक्षण और कल्याण
तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—1866LS(S-3)—28.07.2016.